

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू, जयपुर

पीठासीन अधिकारी : बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या : 07/2021

गणेश नारायण चौधरी पुत्र श्री ईश्वरलाल चौधरी जाति जाट, निवासी: ढाणी बम्बोरियान, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

—प्रार्थी

बनाम

1. शिवकरण पुत्र श्री रामलाल जाति जाट, निवासी: ढाणी बम्बोरियान, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
2. आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी दूदू, जिला जयपुर।
3. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 विरुद्ध आवंटन आदेश दिनांक 19.05.2011 बाबत भूमि खसरा नंबर 1387/175 रकबा 0.25 हैक्टेयर

—: निर्णय :-

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) भू-राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 विरुद्ध आवंटन आदेश दिनांक 19.05.2011 इस आशय का प्रस्तुत किया कि भूमि खसरा नंबर 175 रकबा 1.10 हैक्टेयर ग्राम कडवों का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राजकीय सिवायचक भूमि थी और राजस्व भू-अभिलेखों में राजकीय भूमि के रूप में दर्ज थी। ग्राम कडवों का बास, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में खसरा नंबर 17, 19, 33, 34, 86, 89, 90, 91, 108, 109/1237, 112, 119, 131, 146, 147, 173, 214/1240, 225, 1021, 1067/1300, 1069, 1070, 1083/1303, 1084, 1087, 1088/1305, 1102, 1309/109, 1310/113 एवं खसरा नंबर 1385/1011 कुल किता 30 कुल रकबा 16.6250 हैक्टेयर रामलाल पुत्र रामकरण जाट की तन्हा खातेदारी में दर्ज थी और ग्राम कडवों का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 967 व 1216 कुल किता 2 रकबा 4.95 हैक्टेयर की खातेदारी में रामलाल पुत्र रामकरण जाट का हिस्सा 1/4 और खसरा नंबर 1390/1098 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 114 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1396/78 रकबा 0.07 हैक्टेयर तथा भूमि खसरा नंबर 1320/72, 1360/1319 व 1363/1321 कुल किता 3 रकबा 0.3850 हैक्टेयर रामलाल पुत्र रामकरण की तन्हा खातेदारी में दर्ज थी और राजस्व भू अभिलेखों में इसी प्रकार इन्द्राजात दर्ज थी। रामलाल पुत्र रामकरण जाट के तीन पुत्र शिवकरण, रामकुंवार व डॉ. किशनलाल है जिनका उपरोक्त वर्णित पैतृक खातेदारी की भूमि में हिस्सा निहित था। उपरोक्त वर्णित स्थिति के बावजूद भी दिनांक 19.05.2011 को उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नंबर 175 कुल रकबा 1.10 हैक्टेयर में से 0.25 हैक्टेयर भूमि का आवंटन श्री रामलाल पुत्र रामकरण जाट के पुत्र शिवकरण पुत्र रामलाल को तथा 0.25 हैक्टेयर भूमि का आवंटन रामलाल पुत्र



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अति. जिला मजिस्ट्रेट
दूदू (जयपुर)

शिवकरण जाट के अन्य पुत्र रामकुंवार के नाम कर दिया गया जो पूर्णतः अवैध व अनियमित है। उपरोक्त वर्णित आवंटन के आधार पर शिवकरण पुत्र रामलाल जाट के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरण तस्दीक कर दिया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त भूमि पर कभी काश्त नहीं की परन्तु उसके पश्चात् भी गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरण संख्या 407 दिनांक 26.06.2015 को तस्दीक कर दिया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन आदेश दिनांक 19.05.2011 निरस्त फरमाया जावे।

2. पत्रावली वास्ते बहस पक्षकारान हेतु दिनांक 24.03.2021 को नियत की गई। वकील प्रार्थी को पूर्व में बहस हेतु अवसर दिये जाने के बावजूद दिनांक 24.03.2021 को उपस्थित नहीं हुये। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं उसमें वर्णित तथ्यों पर गौर किया जाकर अंतिम बहस में समाहित किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर अंतिम निर्णय पारित किया जा रहा है। वकील अप्रार्थी उपस्थित हुये। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों का खंडन करते हुये बताया कि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक की कार्यवाही में कोरम के 5 सदस्यों जिनमें उपखण्ड अधिकारी के साथ-साथ तद्समय विधायक, सरपंच, तहसीलदार एवं विकास अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर किये जाकर आवंटन आदेश जारी किया गया। आवंटन हेतु उद्घोषणा दिनांक 27.04.2011 को जारी पत्रांक 928-933 से आवंटन समिति द्वारा आवंटन हेतु उद्घोषणा की गई है। प्रार्थी ने सजरा अनुसार रामलाल के तीन पुत्र शिवकरण, रामकुंवार एवं किशनलाल व एक पुत्री प्रेम देवी एवं पत्नि दाखा देवी होना बताया है जिससे प्रत्येक वारिसान के नोशनल शेयर 1/5 के अनुसार आवंटि के कुल भूमि 3.478 हैक्टेयर अर्थात् 13 बीघा 15 बिस्वा भूमि है जिसमें आवंटित भूमि खसरा नंबर 1387/175 में से 0.25 हैक्टेयर अर्थात् 1 बीघा का योग करने पर आवंटि के पास कुल भूमि 14 बीघा 15 बिस्वा भूमि है जो कि 15 बीघा से कम है। इस प्रकार भूमि आवंटन होने के पश्चात् आवंटि के पास कुल भूमि 14 बीघा 15 बिस्वा होने से नियमानुसार 15 बीघा भूमि से कम भूमि होने के कारण आवंटन की कार्यवाही सही की गई है। इन समस्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सही आवंटन किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।
3. बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष आवंटन आदेश दिनांक 19.05.2011 को निरस्त करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व नियम 1970 के तहत प्रस्तुत किया गया। न्यायालय हाजा की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि दिनांक 19.05.2011 को आवंटन सलाहकार समिति की बैठक की कार्यवाही में कोरम के 5 सदस्यों जिनमें उपखण्ड अधिकारी के साथ-साथ तद्समय विधायक, सरपंच, तहसीलदार एवं विकास अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर किये जाकर आवंटन आदेश जारी किया गया। पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 25.01.2021, जवाब के साथ संलग्न प्रमाणित दस्तावेजात एवं आवंटि द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा आवंटित भूमि के संदर्भ में उद्घोषणा दिनांक 27.04.2011 को पत्रांक 928-933 द्वारा प्रकाशित करवाई गई थी जो कि उद्घोषणा की संलग्न प्रमाणित प्रतिलिपि से साबित है जिससे प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य की आवंटन हेतु उद्घोषणा नहीं की गई, असत्य पाया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि




अतिरिक्त जिला कलक्टर
अति. जिला मजिस्ट्रेट
दूदू (जयपुर)

खसरा नंबर 967 व 1216 कुल किता 2 कुल रकबा 4.95 हैक्टेयर भूमि तहसीलदार के जवाब, दस्तावेजात एवं पटवारी रिपोर्ट के आधार पर उक्त भूमि आवंटी के पिता रामलाल पुत्र रामकरण की न होकर अन्य व्यक्ति स्व. रामलाल पुत्र रामचन्द्र की है। इस प्रकार उक्त आराजीयात से आवंटी एवं आवंटी के परिवार का किसी भी प्रकार से संबंध व सरोकार होना नहीं पाया जाता है। जो कि संलग्न दस्तावेजात, सजरा खानदान, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं नामान्तरण संख्या 405 पूर्णतया साबित है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नंबर 967 व 1216 कुल किता 2 कुल रकबा 4.95 हैक्टेयर की भूमि आवंटी के पिता की होने के तथ्य गलत पाये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा अपने जवाब में आवंटी के पिता रामलाल पुत्र रामकरण की कुल भूमि 17.39 हैक्टेयर होना दर्शित किया है। सजरा अनुसार रामलाल के तीन पुत्र शिवकरण, रामकुंवार, किशनलाल, एक पुत्री प्रेम देवी एवं पत्नि दाखा देवी होना बताया है जिससे प्रत्येक वारिसान के नौशनल शेयर 1/5 के अनुसार आवंटी के कुल भूमि 3.478 हैक्टेयर अर्थात् 13 बीघा 15 बिस्वा भूमि होना पाया जाता है जिसमें आवंटित भूमि खसरा नंबर 1387/175 0.25 हैक्टेयर अर्थात् 1 बीघा का योग करने पर आवंटी के पास कुल भूमि 14 बीघा 15 बिस्वा होना पायी जाती है जो कि 15 बीघा से कम है। इस प्रकार भूमि आवंटन होने के पश्चात् आवंटी के पास कुल भूमि 14 बीघा 15 बिस्वा होने से नियमानुसार 15 बीघा भूमि से कम भूमि होने के कारण आवंटन की कार्यवाही सही होना पाया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन किये जाने के पश्चात् दिनांक 12.07.2011 को पटवारी द्वारा आवंटी को कब्जा सुपुर्द कर दिया गया था जो कि पत्रावली में संलग्न कब्जा सुपुर्दनामा रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि से साबित है। पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार जवाब एवं संलग्न दस्तावेजात खसरा गिरदावरी संवत् 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2068, 2069, 2070 एवं 2071-2077 को देखने से भी आवंटित भूमि पर आवंटी की फसल काश्त होना पाया जाता है जिससे सुस्पष्ट है कि आवंटी का संवत् 2061 अर्थात् वर्ष 2005 आवंटन से पूर्व से ही एवं वर्तमान में भी कब्जा काश्त है। जिसके उपरान्त आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन की शर्तों की पूर्ण पालना किये जाने एवं काबिज रहकर काश्त किये जाने के आधार पर तहसीलदार द्वारा संपूर्ण जांच कर विवादग्रस्त आराजीयात काश्त योग्य एवं मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त होने के आधार पर गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरण आवंटी के हक में खोला जाकर खातेदारी दर्ज की गई। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्णतया स्पष्ट है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन नियमों की पूर्ण रूप से पालना करते हुये उक्त आवंटन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

4. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफतर हो।
5. निर्णय आज दिनांक 06.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




 अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
 अति. जिला मजिस्ट्रेट
 जयपुर